

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	अजीमुद्दीन, राउमावि मेडता सिटी, नागौर	वाणिज्य	01.01.1958	31.12.2017
2	बंशीलाल मेहरा, सेठ कि.ला.कां. राउमावि नागौर	वाणिज्य	21.01.1958	31.01.2018
3	श्यामलाल, राउमावि बुहाना झुंझुनूं	वाणिज्य	02.01.1958	31.01.2018
4	नन्दलाल रैगर, राउमावि जखोडा झुंझुनूं	वाणिज्य	05.01.1958	31.01.2018
5	श्यादाना राम, राउमावि ढाणी दूदगिरी, चूरू	इतिहास	01.02.1958	31.01.2018

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आईएसएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान-बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2017-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) सम्बन्धित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) सम्बन्धित संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -8 प्राप्त कर अंतिम अर्द्ध प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक
- (7) रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 21.12.17



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर